

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प.9(126)राज-6/2012 18

जयपुर, दिनांक 28.04.2016

:-अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम, संख्या 15) की धारा 260 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 90 -ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (अधिनियम -3 वर्ष 1955) की धारा 53 की उप धारा (2) (i) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत भूमि विभाजन के लिए तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्वारा अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना दिनांक 30.09.2016 तक प्रभावशील रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ० कुंज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान ।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर ।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र निशेषाक दिनांक 28.04.2016 में प्रकाशन हेतु।
11. रा.वि.रा. राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव